

18
15/09/2026

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व जिला) : कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व) से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में एवं केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के दिशानिर्देश में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली में राजभाषा हिन्दी की **स्वरचित रचना प्रतियोगिता (2026-2027)** का आयोजन **हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत** किया जा रहा है जिसमें उत्तर-पूर्व जिला में कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं०	प्रतियोगिता का नाम	स्थान	तारीख व समय
1	स्वरचित रचना- (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत, आदि)	राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पूर्व) तीसरा तल, पोर्टा केबिन, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।	प्राप्ति की अंतिम तिथि - 25.09.2026 सांय 4 बजे तक

नोट:-प्रतियोगिता में विजेता कर्मचारियों के नाम हिंदी पखवाड़े के समापन पर दिनांक 28.09.2026 को सांय 4.00 बजे राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के द्वारा घोषित किये जाएंगे।

उपरोक्त प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हेतु कर्मचारी अपनी रचना, राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पूर्व), तृतीय तल, पोर्टा केबिन, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली को दिनांक 25 सितंबर 2026, सांय 04.00 बजे तक अवश्य भेजें। इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रतियोगिता से संबंधित नियमावली को अवश्य पढ़ें।

संजय शर्मा

(संजय शर्मा-1)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(उत्तर-पूर्व) कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

संख्या...../हिंदी/उत्तर-पूर्व/क.क.डू./दिल्ली/2026

दिनांक.....14 SEP 2026

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- समस्त अनुभाग प्रभारी, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- सहायक लेखाधिकारी, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- देखरेख अधिकारी, देखरेख अनुभाग, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली (उक्त दिनांक, समय व स्थान पर जो भी आवश्यक प्रतीत हो उसका प्रबंध करें तथा प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में सहयोग करें।)
- अनुभाग प्रमुख, सामान्य अनुभाग, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- पेशकार, नोडल अधिकारी (उत्तर-पूर्व), हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (केन्द्रीय), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।

***कृपया ध्यान दें- समस्त पीठासीन अधिकारी एवं शाखा प्रभारी इस परिपत्र के माध्यम से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवश्य अवगत कराएं तथा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित करें।**

अनमोल मोदी
निकेत नोडल अधिकारी (उत्तर-पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व जिला) : कड़कड़डूमा न्यायालय,
दिल्ली**

स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत, आदि):- प्रेषित करने हेतु नियम

- (i) स्वरचित रचना के साथ कर्मचारियों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि वह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाण पत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होनी चाहिए व राष्ट्र विरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
- (iii) सभी प्रत्याशियों द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों को माननीय नोडल अधिकारी तथा माननीय लिंक नोडल अधिकारी द्वारा जांचा/चैक किया जाएगा तथा दिनांक 28.09.2026 को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे।
- (iv) विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं सहभागिता प्रमाण पत्र 'प्रमाण पत्र वितरण समारोह' में दिए जाएंगे जो निकट भविष्य में आयोजित किया जाएगा तथा विजेताओं को उनके द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों को मंच पर प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।
- (v) इस प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में उत्तरी पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी एवं लिंक नोडल अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा तथा किसी आवश्यक बदलाव का अधिकार भी इन्हें ही होगा।
- (vi) पुरस्कार की अनुमानित राशि **13,000/- रुपये** है जो कि निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है-
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. प्रथम पुरस्कार (एक) | 4000/- रुपये |
| 2. द्वितीय पुरस्कार (एक) | 3000/- रुपये |
| 3. तृतीय पुरस्कार (एक) | 2000/- रुपये |
| 4. प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच) | 800/- रुपये |